




LABOUR DEPARTMENT HARYANA



Home About ▾ Labour laws Duties And Functions ▾ RTS BRAP ▾ E-Services ▾ Miscellaneous ▾ SO

» Scheme Detail / इस योजना का विस्तार

Home (मुख पृष्ठ) > Scheme detail (इस योजना का)

कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता



Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के व्यवसायिक/तकनीकी कोर्सों में डिग्री डिप्लोमा जैसे मैडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन, एम.सी.ए., कानून, फैशन डिजाईनिंग आदि में दाखिला हेतु कोचिंग कक्षाओं के लिए 20 हजार रूपये एवम् यु0पी0एस0सी0/एच0पी0एस0सी0 की प्रारम्भिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 1 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने की शर्तें:

1. पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।
2. छात्र/छात्रा कोचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए है इस संदर्भ में कोचिंग के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
3. कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता तीन बच्चों तक तक देय होगी।
4. यह सहायता केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।

Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 3
- Scheme For / इस योजना के लिए : All
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : Yes

Benefits / लाभ

Rs.20000

Process / प्रक्रिया

documents / दस्तावेज

[Download Undertaking](#)

Work Slip / काम पर्ची

[Download Work Slip](#)

Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » कोचिंग कक्षाओं के लिए वि
- » व्यवसायिक/तकनीकी संस्था सुविधा हेतु वित्तीय सहायता
- » विधवा पेंशन
- » कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वीं और 12वीं)
- » प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता
- » शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 6)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (शादी के तीन दिन पूर्व)(नियम 61)
- » मातृत्व लाभ (नियम 50)
- » पितृत्व लाभ (धारा 22(1)(h))
- » औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- » मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- » सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- » सार्किल योजना (धारा 22(1)(h))
- » कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1)(h))
- » मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- » अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » अंपगता सहायता (नियम 59)
- » अंपगता पेंशन (नियम 54)
- » चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नि 59)
- » घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)
- » पेंशन की योजना (नियम 51)
- » परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- » मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (नियम 57)
- » मृत्यु सहायता (नियम 57)
- » दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 56)